

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा

राज्य प्रति

जगदीश आदि

मु0अ0 सं0-333 / 2015

धारा- 323,324,504 भा0दं0सं0

थाना-भोजपुर

31.01.2019

अभियुक्त जगदीश मु0अ0सं0-333 / 2015
अन्तर्गत धारा-323,324,504 भा0दं0सं0 थाना भोजपुर
के मामले में अभियुक्त उपरोक्त की ओर से जमानत
प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन
किया।

अभियुक्त स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर
न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के तथ्य एवं
परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की
जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त की ओर
से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने
योग्य है।

आदेश

अभियुक्त जगदीश द्वारा बीस-बीस
हजार रु0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का
व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा
किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा